0रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1456] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2015/ आषाढ़ 18, 1937
No. 1456] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2015/ASHADHA 18, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2015

का.आ. 1848(अ).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (घ) और धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री करण सिंह तंवर को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में नामित करती है तथा इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 05 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2239(अ) में, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) ''धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ)'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 के उप-पैरा (घ) में मद संख्या (i) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

''(i) श्री करण सिंह तंवर''

(2) ''धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत'' शीर्षक के तहत पैरा 1 के उप-पैरा (च) में, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

''श्री करण सिंह तंवर - उपाध्यक्ष''

[फा. सं. 14011/23/2014-दिल्ली-II]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2239(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसके उपरांत 05 नवम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2827(अ), 24 फरवरी, 2015 के का.आ. सं. 609(अ) और 5 मार्च, 2015 के का.आ. सं. 681(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2015

S.O. 1848(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri Karan Singh Tanwar as Member and Vice-Chairperson of the New Delhi Municipal Council and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2239(E) dated the 5th September, 2014 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification

(1) In sub-paragraph (d) of paragraph 1 under the heading "Under-clause (d) of sub-section (1) of section 4, for item number (i) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted, namely:-

"(i) Shri Karan Singh Tanwar"

(2) In sub-paragraph (f) of paragraph 1 under the heading "Under sub-section (4) of section 4", the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri Karan Singh Tanwar - Vice-Chairperson"

[F. No. 14011/23/2014-Delhi-II]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 2239(E) dated the 5th September, 2014 and subsequently amended vide S.O. 2827(E) dated the 5th November, 2014, S.O. 609(E) dated 24th February, 2015 and S.O. 681(E) dated 5th March, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.